भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

अतारांकित प्रश्ना सं. **136** जिसका उत्त र

सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है

जलमार्गों का निर्माण

136. श्री नरेश अग्रवाल :

क्यार **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद जलमार्गों पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां , तो उसके क्याघ कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो जलमार्गों के निर्माण की प्रगति की क्या स्थिति ;हैऔर

(घ) सरकार की जलमार्गों संबंधी क्याो नीति है ?

उत्त र

पोत परिवहन राज्यर मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णबन्)

(क) से (घ) : इस देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्यूर□□□टी) को प्रोत्सातहित करने के लिए, केन्द्रम सरकार ने अब तक निम्नेलिखित 05 अंतर्देशीय जलमार्गों की घोषणा राष्ट्रीनय जलमार्गों (एनडब्यू□□□) के रूप में की है:

i) एनडब्यू□□□ -1 के रूप में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्ि त कया - 1620 किमी)

ii) एनडब्यूब□□□ -2 के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 किमी)

iii) एनडब्यू□□□ -3 के रूप में पश्चिम नहर (कोट्टापुरम-कोल्ल म) सहित उदयोगमंडल और चम्पारकारा नहरें (205 किमी)

iv) एनडब्यूं□□□ -4 के रूप में काकीनाडा - पुडुचेरी नेहरों सहित गोदावरी नदी और कृष्णा नदियां (1078 किमी)

v) एनडब्यूडब□ -5 के रूप में ब्रह्माणी और महानदी डेल्टाो नदियों के साथ एकीकृत पश्चिम तट नहर (588 किमी)

इन पांच राष्ट्री□य जलमार्गों में से , पहले तीन जलमार्गों को जरूरी गहराई और चौड़ाई का जलयान रास्ता5, नौवहन सहायताएं और कार्गो की लदान/उतराई अथवा यात्रियों के

प्रवेश/निकासी के लिए टर्मिनल सुविधाएं पहले से ही काफी हद तक विकसित की गई हैं और इन राष्ट्रीशय जलमार्गों पर कार्गो एवं यात्री जलयान संचलन कर रहे हैं। एनडबल्यू -1 की क्षमता वृद्धि के लिए वर्ल्डर बैंक सहायता प्राप्त परियोजना स्वींकृत हो गई है और लागू की जा रही है।

शेष रह गए दो राष्ट्री□य जलमार्गोंका विकास लंबित था क्यों कि योजना आयोग की सिफारिश पर राष्ट्री□य जलमार्गों के रूप में इन जलमार्गों की घोषणा के उपरान्त सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यकम से इन दो राष्ट्री□य जलमार्गोंके वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खंडों के विकास के लिए प्रयास किए गए थे। तथायफ़िजब यह संभव नहीं पाया गया था, अब सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्ययम से यह विकास प्रक्रिया शुरू की गई है और कुछ एक परियोजनाएं लागू की जा रही है।

इसके साथ-साथ , यदि राष्ट्री□य जलमार्ग - 4 और 5 के कुछ खंड़ों का पीपीपी माध्ययम से विकास किया जा सकता है, के आकलन का अध्यमयन अंतिम स्तवर पर है।

चैनल को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण , टर्मिनल सुविधाओं की स्थातपना, निकर्षण की गई सामग्री का ढेर बनाना आदि के लिए राज्यक सरकारों के साथ संपर्क करने के लिए और विभिन्नक विकासात्मलक गतिविधियों की निगरानी किए जाने के लिए भी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय एनडब्यूज्य□ - 4 पर चेन्नैय एवं विजयवाडा और एनडब्यू□□-5 पर भुवनेश्वपर में खोले गए हैं।

राष्ट्री□य जलमार्गों के रूप में 101 और अंतर्देशीय जलमार्गों को घोषित करने के लिए , 2015 में संसद के बजट सत्र में एक विधेयक प्रस्तुगत किया था। इस विधेयक को परिवहन, पर्यटन और संस्कृकति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थातयी समिति को जांच के लिए भेजा गया। इस समिति और राज्यट सरकारों की सिफारिशों के आधार पर , राष्ट्री□य जलमार्ग के रूप में 106 और अंतर्देशीय जलमार्गों को घोषित किए जाने के लिए मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक नोट भेजा गया है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त,वराष्ट्री□य जलमार्ग विधेयक,2015 के लिए "अधिकारिक संशोधन" प्रस्तुरत किया जाएगा।

*****